सीगा कैविएट प्रार्थना पत्र 148 ए सीपीसी (सरफेसी एक्ट) प्रकरण संख्या 57/2020 (GCMS 2020/00143) M/s A.B. Chem India, IGC Phase-I, Samba, Jammu (J & K) - 184121 through its partner Bishnu Kumar VERSUS Canara Bank, The Mall, Shree Ganganagar through its Branch Manager

22.11.2021

प्रार्थी के अभिभाषक श्री कमल शर्मा उपस्थित नही है। यह कैविएट प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने वित्तिय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत केनरा बैंक के विरूद्ध पेश किया था। यह कैविएट प्रार्थना पत्र आज एडमिशन बहस के लिए नियत है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि केनरा बैंक द्वारा धारा 14 सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक प्रार्थी M/s A.B. Chem India, IGC Phase-I, Samba, Jammu (J & K) - 184121 through its partner Bishnu Kumar के विरूद्ध कोई प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम यह बिन्दु तय किया जाना है कि क्या प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कैविएट प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध मे **वित्तिय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 18 सी(1) का अवलोकन किया गया जो निम्न प्रकार से है :**

> **18C. Right to Lodge a Caveat :**
> **(1) Where an application or an appeal is expected to be made or has been made under sub-section(1 of section 17 or section 17A or sub-section1) of section 18 or section 18B, the secured creditor or any person claiming a right to appear before the Tribunal or the Court of District Judge or the Appellate Tribunal or the High Court, as the case may be, on the hearing of such application or appeal, may lodge a caveat in respect thereof.**
> (2) ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला प्रजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

चूंकि सरफेसी एक्ट 2002 एक विशिष्ट अधिनियम है और इस अधिनियम की उक्त धारा 18सी के तहत Tribunal or the Court of District Judge or the Appellate Tribunal or the High Court के समक्ष ही कैविएट प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से कैविएट प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश करने का कोई कानूनी प्रावधान विद्यमान नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कैविएट प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का कैविएट प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। कैविएट प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला रजिस्ट्रार
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:22 IST
Reason: SelfAttested